महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 17.03.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियानः-

“स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत” का लिया संकल्प...।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आज दिनांक 17.03.2024 को महोबा पुलिस के समस्त थानों/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाकर थाना कार्यालय, बैरक, थाना परिसर, प्रशासनिक भवन, मेस, परिसर एवं विशेषकर खाली पड़े स्थानों पर बेतरतीब उगी हुई घास को काटा गया व गंदगी की साफ सफाई की गयी।

थानों पर कार्यरत कर्मियों द्वारा थाना परिसर के साथ-साथ बैरकों, मालखाना, मेस, थाना कार्यालय की साफ-सफाई के साथ शस्त्रों की सफाई भी की गयी साथ ही अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया तथा आमजनमानस को भी स्वच्छता का सन्देश देकर स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बल के ठहरने हेतु चिन्हित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया, समस्त व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त किये जाने के दिए निर्देश...।

आगामी प्रस्तावित लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा तैयारिया शुरु कर दी गई हैं । इसी क्रम में आज दिनांक 17.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम् द्वारा थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार गुप्ता की मौजूदगी में जनपद महोबा को चुनाव के दृष्टिगत प्राप्त होने वाले अर्धसैनिक बल एवं बाह्य जनपदों के पुलिस बल के ठहरने हेतु चिन्हित स्थल थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत अवस्थित लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर में जवानों के ठहरने के दौरान उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा- बिजली, पानी, शौचालय की समुचित व्यवस्था, भवन के सभी खिड़की दरवाजे सही हालत में हों, संचार व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्त समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश थानाध्यक्ष चरखारी को दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि आगामी प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन के दौरान केन्द्रीय/बाह्य जनपदों से प्राप्त पुलिस बल को जनपद के विभिन्न कालेजों/संस्थानों में ठहराया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न मतदान केन्द्रों का भी भ्रमण कर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की कंपनियों का व्यवस्थापन व उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए कई विद्यालयों तथा संवेदनशील,अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का भी भ्रमण किया जा रहा है तथा पाई गई कमियों को समय से दुरुस्त कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्धेश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम मय हमराह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मकरबई के पास सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगा कर रुपये से जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण **1.** मानवेन्द्र पालीवाल पुत्र मुन्शीराम उम्र 38 वर्ष, **2.** हसनखान पुत्र जुम्मन उम्र 24 वर्ष, **3.** विक्रम सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 25 वर्ष, 4. संजय खंगार पुत्र देवीदीन उम्र 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। जिनकी जामा तलाशी से 810/- रुपये, माल फड 5290/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 71/24 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम
2. हे0कां0 रामकरन सिंह
3. कां0 अंकुश पाल
4. कां0 सुनील कुमार

गिफ्तारी का स्थानः-

गोविन्द अहिरवार का चबूतरा बहद ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा व फासला करीब **06** किमी दक्षिण पश्चिम

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मानवेन्द्र पालीवाल पुत्र मुन्शीराम उम्र 38 वर्ष

2. हसनखान पुत्र जुम्मन उम्र 24 वर्ष, **3.** विक्रम सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 25 वर्ष, 4. संजय खंगार पुत्र देवीदीन उम्र 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

माल फड़ - 5290 रुपये, जामा तलाशी के - 810 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ के द्वारा उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में गठइत की गई पुलिस टीम ने दौराने गश्त/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम भूरा तिराहा यात्री प्रतीक्षालय के पास से एक नफर अभियुक्त रमेश राजपूत पुत्र स्व0 माखनलाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ को हिरासत में लिया गया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु.अ.सं. 48/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय

2.कां0 धर्मेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रमेश राजपूत पुत्र स्व0 माखनलाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत राहुल ढाबा के आगे मेन रोड़ कबरई मार्ग के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त अनिल अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पसवारा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को हिरासत में लिया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 127/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अनिल अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पसवारा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी/अपराध विवरण-

01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0- 127/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 दीपेश कुमार यादव
3. कां0 करमवीर यादव

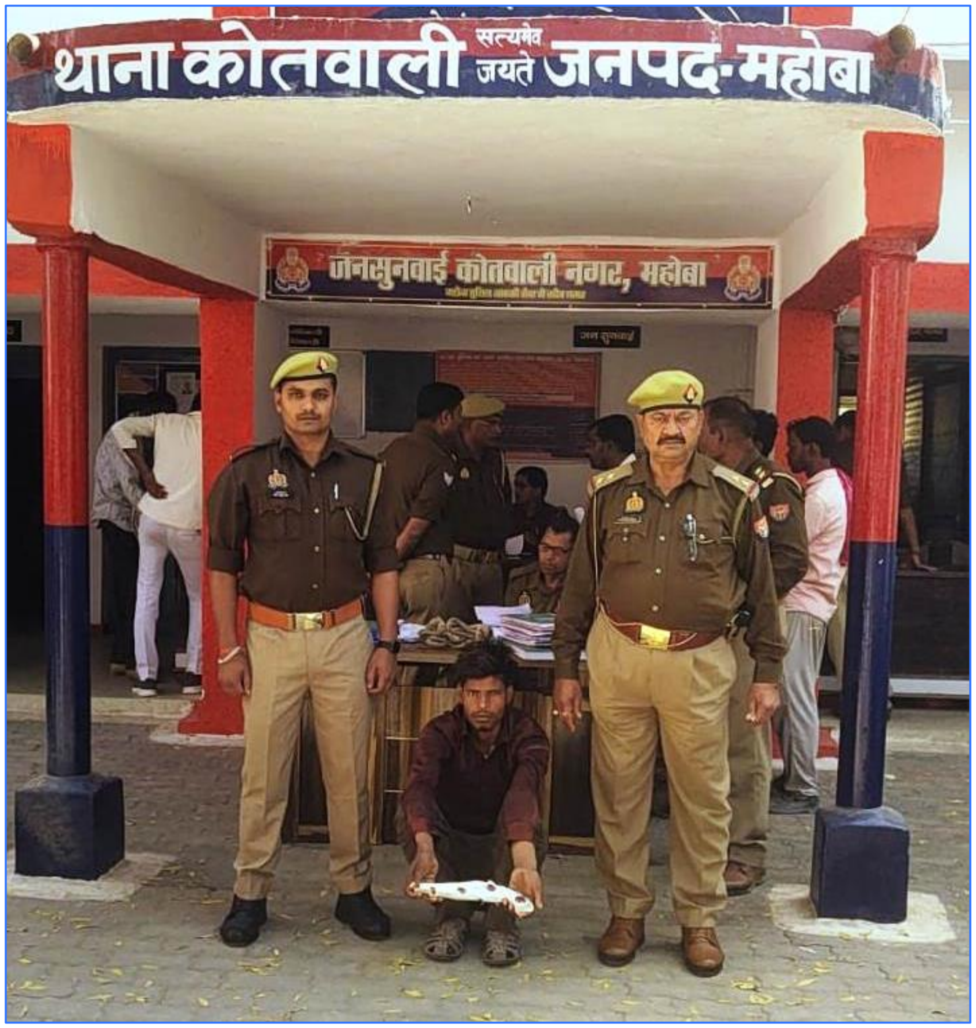

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 17.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन किये जाने से बच सकती है जिन्दगी...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने तथा जनपद महोबा में होने वाली विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिये प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा नियमित अभियान चलाया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों व अऩ्य सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

यातायात नियमों का सदैव पालन करते रहना बेहद जरुरी- प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा आमजनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता लाने हेतु बताया गया कि सडक सुरक्षा को लेकर जागरुकता व नियमों का सदैव पालन करते रहना बेहद जरुरी है। यातायात नियमों के पालन व सुरक्षित वाहन संचालन से होने वाले सड़क हादसों में कमी लायी जा सकती है। इसके लिये हमें खुद के साथ ही अन्य लोगों को भी जागरुक बनना होगा। कहा कि यातायात के नियम इसलिये बनाये गये हैं ताकि हादसों से बचा जा सके, जहां हम नियमों का उल्लंघन करते हैं वहां हादसा होने की संभावना प्रबल हो जाती है। हम खुद तो हादसों का शिकार होते हैं, वही दूसरे की जिन्दगी भी खतरे में डाल देते हैं। इसलिये हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिये। दो पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के तथा चार पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट के प्रयोग के नहीं चलना चाहिये।

इसी क्रम में प्रभारी यातायात द्वारा जनपद मुख्यालय में प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर यातायात पुलिस कर्मियों की मौके पर मौजदूगी की तस्दीक करते हुये ड्यूटियों को चेक किया गया साथ ही जनपद में यातायात व्यवस्था से रूबरू होते हुये विभिन्न महत्वपूर्ण चिन्हित प्वाइंटों पर पहुंच कर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी यातायात द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों को जनपद में यातायात व्यवस्था अक्षुण्य/गतिमान बनाये रखने के सम्बन्ध मे ब्रीफ कर आवश्यक दशा-निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 17.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अभियोजन विभाग महोबा द्वारा नवीन आपराधिक विधियों पर कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया...।

आज दिनांक 17.03.2024 को पुलिस लाइन अवस्थित सभागार महोबा में अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के तत्वाधान में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय महोबा द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नवीन आपराधिक विधियों यथा- भारतीय न्याय संहिता **-2023,**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **-2023,**भारतीय साक्ष्य़ अधिनियम **-2023** व नवीन अन्य अधिनियमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का आयोजन/शुभारम्भ किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद महोबा के अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम सम्मिलित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री राजेश कुमार यादव, संयुक्त निदेशक अभियोजन महोबा द्वारा की गई।

कार्यशाला में अभियोजन संवर्ग के समस्त अधिकारीगण तथा डी.जी.सी. संवर्ग के समस्त शासकीय अधिवक्ता, सभी थानों के थाना प्रभारी, निरीक्षक, उ0नि0, समस्त विवेचकगण, सत्र न्यायालयों के कोर्ट मोहर्रिर को नवीन आपराधिक विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।।

वक्ता के रुप में श्री प्रमोद कुमार पालीवाल विशेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. एक्ट, श्री अशोक कुमार शुक्ल ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व श्री मुहमूदुर्रहमान सहायक अभियोजन अधिकारी ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज कुमार शुक्ल, सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 17.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अग्निशमन टीम महोबा द्वारा स्कीम-17 के तहत खेत खलिहानों में होने वाली अग्निकांडों से बचाव के सम्बन्ध में किया गया जागरुक-

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17 मार्च 2024 को अग्निशमन टीम जनपद महोबा द्वारा जनपद महोबा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर स्कीम-17 के तहत खेत खलियानों में होने वाली अग्निकांडो से बचाव तथा उससे होने वाली जन-धन की हानि को नियंत्रित करने के संबंध में 25 स्थानों/ग्रामीण अंचलों में भ्रमण करते हुए जन-जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें 250 लोगों को अग्निकांडो से बचाव तथा उससे होने वाली जन-धन की हानि के विषय में जागरुक किया गया व जागरुकता पम्पलेट वितरित किये गये।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह कर्मचारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त देवकरन कुशवाहा पुत्र छोटा कुशवाहा उम्र 35 वर्ष नि0ग्राम बघवा थाना कबरई जनपद महोबा को बघवा खोड़ा मोड़ के पास बहद ग्राम बघवा खोड़ा थाना कबरई के पास से नियमानुसार हिरासत में लिया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर रिवाल्वर देशी नाजायज मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 72/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. हे0कां0 आलोक कुमार
3. कां0 लव कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवकरन कुशवाहा पुत्र छोटा कुशवाहा उम्र 35 वर्ष नि0ग्राम बघवा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्तिः-

01 अदद तमंचा 32 बोर रिवाल्वर देशी नाजायज मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद होना।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री भास्कर मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित की गई उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मा0 न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा द्वारा केश संख्या 256/2023 धारा 128 सीआरपीसी के तहत निर्गत वारण्ट के क्रम में सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त हरनारायण उर्फ हरनाम पुत्र बबलू निवासी ग्राम इन्दौरा परगना तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

हरनारायण उर्फ हरनाम पुत्र बबलू निवासी ग्राम इन्दौरा परगना तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा